(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14 (16)/LA-2004/ 477 **Dated: 02 /09/2004**

NOTIFICATION

No.F.14 (16)/LA-2004/ - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Hon'ble Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on the 30th August, 2004 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI TAX ON LUXURIES (AMENDMENT) ACT, 2004"
(Delhi Act 6 of 2004)

30th August, 2004

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th August, 2004).

An Act to further amend in Delhi Tax on Luxuries Act, 1996

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2004.
   (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
   (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of section 2. 2. In the Delhi Tax on luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996) (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 2, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) "concessional rate" in relation to a luxury provided in a hotel, means a rate lower than the normal rate fixed for such luxury by the hotelier or lower than that fixed by any Government, authority, or under law for the time being inforce;"

Amendment of section 3. 3. In the principal Act, in section 3, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(4) where luxury provided in a hotel to any person (not being an employee of the hotel) is not charged at all, or is charged at a concessional rate nevertheless there shall be levied and collected the tax on such luxury, at the rate specified in sub-section (2), as if full charges for such luxury were paid to the hotelier."

असाधारण
(दिल्ली राजपत्र भाग–चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली.

सं.फा. 14(16)/एल ए–04/५३७ दिनांकः 2.9.04

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 30.8.04 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है ।

दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 (दिल्ली अधिनियम संख्याः 6 वर्ष 2004) 30 अगस्त, 2004

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा दिनांक 4.8.04 को यथा पारित ।

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 में और आगे संशोधन करने का

एक

अधिनियम

इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा भारत के गणतन्त्र के 55वें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जायेगा–

1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा ।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा ।

(3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में नियत तिथि से लागू होगा ।

धारा 2 में संशोधन

2. दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 10) (जिसे इसके पश्चात् मुख्य अधिनियम कहा जायेगा) धारा 2 में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(ड़) किसी होटल में प्रदान की गई विलासिता के संदर्भ **"रियायती दर"** का अर्थ है ऐसी दर जो होटल मालिक द्वारा उस विलासिता के लिये निश्चित सामान्य दर से कम हो या किसी सरकारी प्राधिकरण या तत्समय लागू कानून के द्वारा निश्चित दर से कम हो,"

धारा 3 में संशोधन

3. मुख्य अधिनियम में धारा 3 में उपधारा (3) में उपधारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(4) जहां किसी व्यक्ति को (जो होटल का कर्मचारी नहीं है) कोई विलासिता प्रदान की जाती है और कोई प्रभार नहीं लिया जाता है या रियायती दर पर प्रभार लिया जाता है तो किसी बात के होते हुये भी उस विलासिता पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर पर कर संग्रह किया जायेगा मानों होटल मालिक को उस विलासिता के लिये पूरा प्रभार का भुगतान किया गया था ।

(पी0 एस0 परमार)
उप सचिव (विधि न्याय एवं विधायी विभाग)